

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या:- 25 13 / नौ-7-2024-03(ज)/2023
लखनऊ:दिनांक: 26, जुलाई, 2024
कार्यालय ज्ञाप

नगर विकास विभाग, उ.प्र.शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1479/नौ-7-2024-03 (ज)/2023, दिनांक 17.05.2024 द्वारा "मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन)" के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिये प्राप्त होने वाली निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं निविदादाताओं की बिडिंग क्षमता के ऑकलन तथा निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन हेतु 02 समितियों का गठन किया गया है।

2. प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.05.2024 को अवकमित करते हुए "मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन)" के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत नगर निगमों के स्वीकृत परियोजनाओं के लिये प्राप्त होने वाली निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं निविदादाताओं की बिडिंग क्षमता के ऑकलन तथा निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार 02 समितियों का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है—

(1) "मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन)" के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिये प्राप्त होने वाली निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन एवं निविदादाताओं की बिडिंग क्षमता के ऑकलन हेतु समिति :-

1.	नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियंता, संबन्धित नगर निगम	सदस्य-सचिव
3.	सी.ई.ओ. अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेन्सी (यूरिडा) द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
4.	वित्त नियंत्रक/सहायक निदेशक (लेखा) स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ	सदस्य
5.	संबन्धित नगर निगम के वित्त अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी	सदस्य

(2) "मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन)" के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन हेतु समिति :-

1.	नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियंता, संबन्धित नगर निगम	सदस्य-सचिव
4.	संबन्धित नगर निगम के वित्त अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी	सदस्य


(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-7, उ.प्र. शासन।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.), अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेन्सी (यूरिडा)
3. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ.प्र.।
4. मुख्य अभियंता, समस्त नगर निगम, उ.प्र.।
5. मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ।

आज्ञा से
26.07.2014
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।